राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर

वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज0)
Email - ccfwl.udpr.forest@rajasthan.gov.in , Ph. 0294-2414374, 2414292

क्रमांकः- एफ 9(373) एफ.सी.ए./मुवसं/व.जी./2023-24/4546 दिनांक 01-12-2023

निमित,

उप वन संरक्षक,
वन्यजीव,उदयपुर

विषय:— Proposal no. : FP/RJ/WATER/151001/2022, Name of Project : AUGMANTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE,FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR के एफ.सी.ए प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— आपका पत्र कमांक 9665 दिनांक 19.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/151001/2022 सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया है। प्रेषित प्रस्ताव में आप द्वारा अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (F.C.A) राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 5670-71 दिनांक 18.04.2023 द्वारा लगाए गए आक्षेपों का बिन्दुवार प्रत्युत्तर प्रेषित नही किया है कृपया प्रस्ताव को आक्षेपों के बिन्दुवार प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत करें। प्रस्ताव का पूर्ण रूप से चेक लिस्ट से परीक्षण कर लेवें, ताकि अनावश्यक लौटाफेरी नही हो। पूर्व से ही इस प्रकरण में काफी विलम्ब हो चुका है। कृपया त्वरित कार्यवाही कर प्रस्ताव अग्रेषित करें।

संलग्नः- मूल प्रस्ताव (3 प्रतियों में)

मूल प्रस्ताव प्राप्त किये
1/12/2023

भवदीय,

(आर.के.जैन IFS)
मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Rajkumar Jain
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.12.01 17:55:50 IST
Reason: Approved

Takniki letter

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14( ) Water 2022 / एफसीए / प्रमुवसं. / 5670-71 दिनांक 18.04.2023

मुख्य वन संरक्षक,
(वन्यजीव) उदयपुर / उदयपुर।

विषयः– Diversion of 2.1137 ha. (Udaipur WL 0.8586+1.2511 Udaipur South) forest land in favour of PHED Udaipur for AUGMANTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE,FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR (Proposal No. FP/RJ/Water/151001/2022)

संदर्भः–मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उदयपुर का पत्रांक 820 दिनांक 23.03.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा KML file में वन / अभयारण्य सीमा एवं मंडलवाइज अपलोड नही की गयी है। उदयपुर वन्यजीव जिसमें तीन पैच बनाये गये है उनका क्षेत्रफल 0.8577 है0(GSS-898, Pipeline-0.1767 and High tension line-0.5912) जो कि आवेदित वन क्षेत्र 0.8586 है0 से कम है।
2. प्रस्ताव में संलग्न DGPS map में कानर्स पांइट के कोर्डीनेटस एवं चेनऐज अंकित नही किया गया है।
3. यूजर ऐजेन्सी द्वारा वैकल्पिक मार्ग नही होने का कोई ठोस कारण नही दिया गया है।
4. प्रस्ताव में झील से पानी लिया जा रहा है एवं अभयारण्य क्षेत्र में जी0एस0एस0 एवं अन्य कार्य भी किये जाने है ऐसी स्थिति में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन्यजीव क्षेत्र में अभी आवेदन भी नही किया गया है। प्रकरण में वन्यजीव स्वीकृति भी आवयश्क है।
5. प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम मामादेव तहसील कुरावड में 1.9637 है0 एवं विकास नगर तहसील खेरवाडा में 0.15 है0 भूमि आबंटित की गयी है। जबकि पूर्व में 2.1137 है0 मामादेव में आबंटित की गयी है उक्त भूमि को एक स्थान पर नही लिये जाने के कारण स्पष्ट किया जावे।
6. प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नही है
7. पाइप लाइन कितने मि0मी0 की पानी की पाइप लाइन डाली जानी है स्पष्ट नही है एवं इसके क्रास सेक्शन संलग्न नही है।
8. प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजो अनुसार 33 KV Transmission Line डाली जानी प्रस्तावित है इस हेतु ROW 7 मीटर लिया गया है जबकि 15 मीटर लिया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्न नही की गयी है।
10. एरिया केलकुलेशन शीट में अभयारण्य क्षेत्र में वन / गैर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नही किया गया है।
11. बार चार्ट में चेनऐज अंकित नही किये गये है।
12. क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण में प्राप्त भूमि के DGPS map में वन सीमा इत्यादि का विवरण नही है। उक्त भूमि वन सीमा से काफी दूर है।
13. DCF WL Udaipur द्वारा कोई वृक्ष प्रस्तावित क्षेत्र में आना नही दर्शाया गया है। जबकि संलग्न डिजीटल मानचित्र में वृक्षों का आना दिख रहा है। इसमें कितने वृक्षों का पातन किया जावेगा एवं कितने वृक्ष छगाई किये जावेगें, स्पष्ट किया जाना है।
14. DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में प्रसतावित क्षेत्र के वन्यजीव प्रबंधन हेतु प्रसतावित क्षेत्र अभयारण्य के बफर एवं इको संसेन्सिटिव क्षेत्र में आना दर्शाया गया है जबकि उक्त प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य के अंदर स्थित है।
15. DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट ।। में एन0पी0वी0 गणना, प्रभावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति आदि संलग्न नही की गयी है।

Scanned with CamScanner

16. CCF Udaipur द्वारा पार्ट ।।। में 2.1125 है0 वन भूमि की अनुशंषा की गयी है। जबकि उनका प्रभावित वन क्षेत्र 1.2551 है0 है।
17. CCF WL Udaipur द्वारा पार्ट ।।। में कितनी वनभूमि हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है अंकित नही है।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2022/एफसीए/प्रमुवसं./5672-74 दिनांक 18.04.2023

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप वन संरक्षक, उदयपुर/उदयपुर वन्यजीव।
2. अधिशासी अभियंता, प्रोजेक्ट डिविजन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सूरजपोल पुलिस थाने के पास उदयपुर।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner